

102/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प... हरिनारायणपुरा


क्रमांक: राजस्व / 2021 /

दिनांक : / / 2021

आदेश

आवेदक श्री मुन्ता लाल सा मूलचन्द ने
 तहसील कोटखावदा में ग्राम कपाटोली स्थित आराजी
 ख.न. 2075-2078 रकबा 21, 22, 24 के संबंध में जमाबन्दी
 सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 21, 22, 24 पर अंकित प्रविष्टि
 दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
कपाटोली की जमाबन्दी के खाता संख्या 21, 22, 24 की प्रविष्टि के
 स्थान पर मुन्ता लाल सा मूलचन्द
 किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपने रिपोर्ट के
 अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
 पटवारी हल्का कपाटोली की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
 की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री मुन्ता लाल पुत्र
 श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी मन्तारामपुरा
 तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2075-78
 के खाता संख्या 21, 22, 24 में अंकित प्रविष्टि मन्ताराम सा मूलचन्द
 के स्थान पर मन्ताराम उर्फ मुन्ता लाल सा मूलचन्द
 किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन
 किया जावे।



 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)

दिनांक : 26 / 11 / 2021

क्रमांक: राजस्व / 2021 / 3521

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
- पटवारी हल्का कपाटोली


 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)